न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या –58/2022 (प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नं0–2022/0215

पांची बाई पत्नी श्री देवीलाल जाति बैरवा निवासी चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज.

––प्रार्थी.

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. महाप्रबन्धक (त0क0) एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कार्यान्वयन ईकाई ए–504 इन्दिरा बिहार कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी 5 अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्था पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

उपस्थितः–

1. श्री राजीव ओझा, हेमराज मीणा अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री अभिनव जैन, दिलदार सिंह अभिभाषक अप्रार्थी नं0 2

निर्णय

दिनांक :–27.02.2024

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण एवं अनुरक्षण प्रबन्धन, और प्रचालन के लोक परियोजना के लिए अन्य भूमियों के साथ प्रार्थी की ग्राम चेचट में खसरा नं0 1956 व 1957 रकबा 0.3253 हे0 व 0.4942 हे0 भूमि अवाप्त के लिए राशि 21,89,614/– का मुआवजा तय किया जाकर प्रार्थी को नोटिस दिनांक 8.6.2021 से राशि प्राप्त करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को जारी किया गया । सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई राशि की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री राजीव ओझा के प्रस्तुत किया है ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एड0 अभिनव जैन,दिलदार सिंह का वकालतनामा पेश

जिला कलेक्टर
कोटा

हुआ। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है । उपस्थित वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

3. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम चेचट खसरा नं. 1956 व 1957 रकबा 0.3252 हे0 व 0.4942 हे0 भूमि अवाप्त की गई है जिसका मुआवजा असिंचित मानते हुए 21,89,614/ तय किया गया है जिसे प्रार्थी वांछित दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष जमाकर मुआवजा राशि प्राप्त करले, इस आशय का नोटिस प्रार्थी को प्राप्त हुआ । जिसके संबंध में प्रार्थीया द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मौखिक आपत्ति दर्ज कराई गई कि उसकी कृषि आराजी का मुआवजा कम तय किया गया है । इस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह कहा कि कानूनी बाध्यता है कि वह विधि के प्रावधानों के अनुसार जारी किये गये अवार्ड में किसी प्रकार का संशोधन करने में असमर्थ है तथा अवार्ड के संशोधन के संबंध में विधि अनुसार सक्षम मध्यस्थ सुलह प्राधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर कोटा को नियुक्त किया हुआ है, उनके द्वारा ही अवार्ड में संशोधन किया जा सकता है । उक्त आराजी का मुआवजा असिचिंत भूमि के अनुसार आंकलन किया गया है जबकि उक्त कृषि आराजीयात प्रार्थीया की स्वामित्व की एवं मंगलम सीमेन्ट लीज एरिया में आती है, जिसके कारण से उक्त भूमि का मुआवजा लीज क्षैत्र की भूमि मानते हुए उसी अनरूप किया जाना है । जिसके संबधं में विधि के प्रावधान एवं पारदर्शिता अधिनियम 2013 में भी उल्लेख है कि भूमि का मुआवजा भूमि की किस्म के रूप से तय किया जाना आवश्यक है । जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा दस्तावेजों में राजस्व जमाबंदी, मंगलम सीमेन्ट के लीज क्षैत्र में आने वाली भूमि की विवरणिका, डीएलसी रेट के संबंध में जारी अधिसूचना, लीज क्षैत्र में आने वाली भूमि की डीएलसी के संबंध में जारी प्रपत्र उप पंजीयक चेचट । सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थीया की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा भूमि की किस्म से ना किया जाकर असिंचित भूमि के रूप से तय किया गया है जबकि प्रार्थीया की भूमि का मुआवजा लीज क्षैत्र की भूमि होने से उक्त भूमि का मुआवजा लीज क्षैत्र में आने वाली डीएलसी रेट के अनुसार तय किया जाना था, जिसके संबंध में उप पंजीयक चेचट द्वारा डीएलसी रेट निर्धारित की गई है, जो कि 36,96,850/– प्रति हेक्टेयर से मुआवजा तय किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर लीज क्षैत्र का मुआवजा दिलाने हेतु आदेश फरमावें ।

4. वकील अप्रार्थी नं0 2 ने अपने जवाब के विशेष कथन में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए जाहिर किया कि सक्षम प्राधिकारी प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति) रामगंजमण्डी द्वारा भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) के अन्तर्गत गजट अधिसूचना का.आ.3073 (अ) दिनांक 09.09.2020 जारी की गई जिसका प्रकाशन दौ प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 17.10.2020 को हुआ । धारा 3ए के नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात जिन व्यक्तियों द्वारा एनएच एक्ट 1956 की धारा 3–सी के अन्तर्गत आपत्तियां प्रस्तुत की गई उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया । 3–सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय

जिला कलेक्टर
कोटा

राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ.4803 (अ) दिनांक 11.12.2020 जारी की गई, इस अधिसूचना के सार को दो दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित किया गया उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें भूमि वाके ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (जी) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म सडक सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक चेचट से प्राप्त डीएलसी एवं अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की ओसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए निर्धारित की गई है । ग्राम चेचट में प्रार्थीया की उक्त अवाप्तशुदा भूमि केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । अवाप्तशुदा खसरा नं0 1956 की प्रकृति सिंचित एवं खसरा नं0 1957 की प्रकृति असिंचित थी । राजस्व रिकार्ड में जिस भी जमाबन्दी के खाते पर किसी भी लीज क्षैत्र के खनन का नोट दर्ज है उसका पंजीयन राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के टेक्स डिविजन के नोटिफिकेशन के अनुसार किया जाता है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो अवाप्तसुदा भूमि के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गई, उक्त अधिसूचना में अवाप्तसुदा भूमि की किस्म चाही–3 व बारानी–3 कृषि दर्ज थी जो कि राजस्व रिकार्ड पर आधारित थी, उक्त अवाप्तसुदा खसरे पर किसी भी प्रकार का लीज क्षैत्र के खनन का नोट दर्ज नहीं था । प्रार्थीया कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है । इसके साथ ही वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में यह भी कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में इस न्यायालय के समक्ष उक्त खसरा नम्बर के संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी 5 आर्बीट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसके मु0नं0 61/2021 है तथा उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.4.2022 को खारिज फरमा दिया गया था , इसके बावजूद भी प्रार्थीया द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों पर आधारित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थीया कानूनन एस्टोप्ड है, ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक रूप से ही खारिज किये जाने योग्य है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र नेशनल हाईवे अधिनियम 1956, आर्बीट्रेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत कर भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी ग्राम चेचट में खसरा नं0 1956 व 1957 रकबा 0.3253 हे0 व 0.4942 हे0 भूमि अवाप्त के लिए राशि 21,89,614/– का मुआवजा तय किया जाकर प्रार्थी को नोटिस दिनांक 8.6.2021 से राशि प्राप्त करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को जारी किया गया । सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई राशि की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थीया के अवाप्त भूमि मंगलम सीमेन्ट की लीज एरिया की भूमि होने से लीज क्षैत्र की डीएलसी के अनुसार मुआवजा तय करना चाहिए जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल

जिला कलेक्टर
कोटा

असिंचित भूमि के दर से मुआवजा तय किया गया है तथा लीजक्षैत्र. की डीएलसी के अनुसार मुआवजा दिलाने हेतु प्रार्थना की गई है, इसके लिए प्रार्थीया द्वारा जमाबन्दी, एवं मंगलम सीमेन्ट की लीज एरिया में आने वाली भूमियों की सूची खनिज विभाग से प्राप्तशुदा प्रस्तुत की है जिसमें उक्त अवाप्त खसरा नम्बरान 1955,ख0नं0 1956,ख0नं0 1957 का विवरण है । वकील अप्रार्थी नं0 2 का कथन है कि उक्त अवाप्तशुदा खसरे पर किसी भी प्रकार का लीज क्षैत्र के खनन का नोट दर्ज नहीं था । किन्तु प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से इसकी पुष्टि होती है कि अवाप्तसुदा भूमि खनन लीज क्षैत्र की है तथा नकल जमाबन्दी संवत 2004–2024 में खसरा नं0 1955,1956,व 1957 लीज एरिया में होने का नोट अंकित है एवं मंगलम सीमेन्ट लि0 की लीज क्षैत्र में आने वाली ग्राम चेचट की भूमियों की सूची सहायक लोक सूचना अधिकारी खनि अभियन्ता रामगंजमण्डी से जारीशुदा की फोटो प्रति पेश की है जिसमें उक्त खसरा नम्बरान मंगलम सीमेन्ट की लीज क्षैत्र में होना अंकित है । किन्तु वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में यह भी कथन किया है कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का मुकदमा पूर्व में 61/2021 प्रस्तुत किया गया तथा निर्णय दिनांक 25.4.2022 से खारिज करना बताया है । इस सम्बन्ध में हमने कार्यालय के रेकार्ड का अवलोकन किया जिस अनुसार उक्त प्रकरण संख्या 61/2021 में वर्णित भूमि के खसरा नम्बर 1156 व 1157 अंकित है तथा उस प्रकरण में लीज क्षैत्र के अनुसार मुआवजा प्राप्त करने हेतु दावा नहीं किया था । तथा पूर्व के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी 5 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें खसरा नं0 1156 व 1157 वर्णित है जिसके प्रकरण संख्या 61/2021 होकर निर्णय दिनांक 25.4.2022 से प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है । इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1956 व 1956 है जो लीज क्षैत्र की होने के दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये है तथा लीज एरिया की डीएलसी से मुआवजा भुगतान हेतु प्रार्थना की गई है । इस प्रकार हम पाते है कि प्रार्थीया की ग्राम चेचट की भूमि खसरा नं0 1956 की रकबा 0.3252 हे व खसरा नं0 1957 रकबा 0.4942 हे0 मंगलम सीमेन्ट की लीज क्षैत्र की होना जाहिर आने से लीजक्षैत्र की डीएलसी के हिसाब से प्रार्थी मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीया की अवाप्तसुदा भूमि खसरा नं0 1956 की रकबा 0.3253 हे व खसरा नं0 1957 रकबा 0.4942 हे0 की रेकार्ड एवं मौके की जांच करावें । प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अनुसार उक्त भूमि लीज क्षैत्र की पाये जाने पर प्रार्थीया की आपत्तियों का निस्तारण करते हुए स्पष्ट आदेश पारित करें तथा RFCTLARR Act - 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत मुआवजा भुगतान की कार्यवाही करें ।

7. निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा